

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १२

सम्पादक - किशोरलाल मशरूवाला

अंक २३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दाष्टामाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० ८ अगस्त, १९४८

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६
विदेशमें २० ८; शि० १४; डॉलर ३

हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी ही है

मैं जब यह लिखने बैठा, तो सोचने लगा कि जिसका शीर्षक क्या रखा जाय। 'हमारी राजभाषा' यह अधूरा लगता है। और आज तो यह सही भी नहीं होगा। आज हमारी राजभाषा अंग्रेजी है। वह राष्ट्रभाषा नहीं है। और राजभाषाका दायरा हमेशा राष्ट्रभाषासे छोटा ही रहेगा। आजकल 'संघभाषा' का प्रयोग शुरू हुआ है। 'हिन्दी संघ', 'अिण्डियन यूनियन' नाम अंगरचे हमारे देशको दिया गया है, लेकिन मुझे वह कतभी पसन्द नहीं। जिसमें अलगावकी बू आती है। 'संघ' शब्द या तो रियासती प्रजाओं और गैर-रियासती प्रजाओंके सम्मेलनका सूचक हो सकता है या मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त वगैरा प्रान्तोंके सम्मेलनका सूचक हो सकता है। कुछ भी हो। 'संघ' शब्द है तो मिलापका सूचक, लेकिन उसके साथ साथ अलगावका मान हुअे बिना नहीं रहता। मुझे तो 'हिन्द', 'भारत', 'हिन्दुस्तान' ये शब्द ज्यादा पसंद हैं। जिनमें हमारी अखण्डता कायम रहती है। अमी अभी पाकिस्तानके निर्माणसे 'हिन्दुस्तान' शब्द कुछ अप्रिय हो गया है, जिसलिअे ओछे खयालके लोग 'हिन्दुस्तान' के बजाय 'हिन्दुस्थान' शब्दका प्रयोग जानबूझ कर करते हैं, और जिस तरह हमारे देशको-सिर्फ हिन्दुओंका ही देश मनवानेकी कोशिश करते हैं। (यहाँ पर यह कह दिया जाय कि महाराष्ट्री लोग आम तौर पर 'हिन्दुस्थान' ही लिखते हैं। लेकिन वे ऊपर बताये हुअे खयालसे ऐसा नहीं करते। वे तो 'गुजरात'को 'गुजराथ' और 'गुजराती'को 'गुजराथी' ही कहते और लिखते हैं। उनकी जवानका शायद यह स्वभाव है।)

हिन्दुस्तानीको संघभाषा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह सिर्फ हिन्दी संघमें ही नहीं बोली जाती। पाकिस्तानमें भी वह बरती जाती है। संजोगवश हमारे देशमें दो राजकीय हुकूमतें कायम हुई हैं। जिससे न तो दो दिल होने चाहियें, न दो राष्ट्र। दो हुकूमतें होते हुअे भी हमारा राष्ट्र काश्मीरसे कन्याकुमारी तक और कराचीसे सद्दिया तक अेक ही है। और आीवरने चाहा, तो अेक ही रहेगा। जिसलिअे जिस महान देशकी भाषाके लिअे 'राजभाषा' या 'संघभाषा' के बनिस्वत 'राष्ट्रभाषा' शब्द ज्यादा सही होगा।

(२)

हमारी राष्ट्रभाषाका नाम क्या रहे? जब तक पाकिस्तानका निर्माण नहीं हुआ था, तब तक कुछ लोग दूसरी तरह सोचते थे। अब पाकिस्तानसे कोअी वास्ता न मानकर वे कहते हैं — "हमारा देश 'हिन्द' है, जिसलिअे हमारे देशकी जवानका नाम 'हिन्दी' होना चाहिये।" अेक जमाना था जब हिन्दी शब्द अुसी अर्थमें समझा जाता था, जिसमें कि आज "हिन्दुस्तानी" समझा जाता है। लेकिन हिन्दीके प्रेमी हिन्दीको अुसकी जगहसे घसीटते घसीटते यहाँ तक ले आये हैं कि अुसके मानी अब होने लगे हैं: नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली संस्कृत शैलीकी जवान। जिसलिअे देशके लिअे 'हिन्द'

शब्द जितना प्यारा लगता है, अुतना देशकी जवानके लिअे 'हिन्दी' शब्द प्यारा नहीं रहा। अैसा कहा जा सकता है कि 'हिन्दी'के मुक़ाबले 'हिन्दुस्तानी' शब्द ज्यादा पसन्द किया जायगा। हमारे देशकी जवानके लिअे 'हिन्द' परसे अेक दूसरा शब्द 'हिन्दवी' चला था। लेकिन वह अब नामशेष हो गया है। अुसके फिर जिन्दा होनेकी कोअी अुम्मीद नहीं। जिसलिअे 'हिन्दुस्तानी' शब्द ही ज्यादा पसन्द किया जायगा। लेकिन अगर कोअी हिन्दुस्तानीके मानी अुर्दू करता है, तो वह ख़वाब देखता है, और वह अुसका ख़वाब ही बना रहेगा। यह कभी बार साफ कर दिया गया है कि हिन्दुस्तानी वह जवान है, जिसमें हिन्दी और अुर्दूका कुदरती मेल है।

जवानके रूपके बारेमें और नामके बारेमें जो मतमेद है, अुससे कहीं ज्यादा मतमेद अुसकी लिपिके बारेमें है। यह हकीकत है कि हिन्दुस्तानी आज नागरी और अुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है। लेकिन आज दूसरेको अुसकी जगह दिखानेकी अेक खतरनाक हवा चली है। काश कि सब अपनी अपनी जगह पहचान लें। न नागरी अुसकी जगहसे हटाअी जा सकती है, न अुर्दू कानूनके जरिये मिटाअी जा सकती है। अगर तामिलनाडुमें जाकर कोअी तामिल लिपिकी अपूर्णता दिखाकर अुसे हटानेका प्रचार करेगा, तो अुसकी कोअी अुनेगा नहीं। मैं बड़ी नम्रतासे कहूंगा कि आजका अवसर लिपियोंके गुण-दोष और अुनके दायरेकी चर्चा करके अेक दूसरेकी तुलना करनेका नहीं है। जैसी भी हालत है, अुसे स्वीकार करके आज संगठित रूपसे आगे बढ़नेकी जरूरत है। अलबत्ता, जिसे अपनी लिपि प्यारी है, वह अपनी लिपिको संपूर्ण बनानेकी कोशिश करता रहे, यह कहनेकी जरूरत नहीं है।

(३)

आज राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमें काम करनेवाले बहुतेरोंकी निगाहें विधान-सभाके होनेवाले फैसले पर गड़ी हुअी हैं। जिसलिअे विधान-सभा किस तरह बनी है, अुसका दायरा क्या है, किस चीज़का अुसे निर्णय करना है, वगैरा बातोंपर सोचना जरूरी है।

विधान-सभामें विधान बनानेकी विद्या जाननेवालोंको सभासद चुना गया है। जिसलिअे ये सब किसी खास मतकी संस्थाके प्रतिनिधि हों, अैसा जरूरी नहीं माना गया। जैसे डॉ० अंबेडकर और डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी कांग्रेसकी तरफसे मेजे गये हैं, लेकिन वे कांग्रेसके सिद्धान्तोंको पूरी तरह माननेवाले नहीं हैं। दूसरे अैसे हैं, जिन्हें आबादीकी संख्याके प्रमाणमें और लोकप्रियताके कारण चुनना जरूरी माना गया, चाहे वे विधान बनानेकी कलाके विशेषज्ञ न भी हों। जिस तरह विधान-सभा राष्ट्रभाषाका निर्णय करनेवाली अथवा अुसपर शास्त्रीय ढंगसे चर्चा करनेवाली संस्था नहीं है। ज्यादासे ज्यादा वह राजभाषाके बारेमें निर्णय कर सकती है। लेकिन जिसमें भी अुसे जनतासे निर्णय लेना चाहिये। कहा जाता है कि विधान-सभाके सभासदोंमें बहुतेरें अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन सब हिन्दुस्तानी नहीं समझते, खासकर दक्षिण भारतके लोग। जिससे अुलटे, हिन्दके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तानी समझते हैं और अंग्रेजी तो सात फी सदी लोग भी नहीं समझते।

जिसलिसे अगर विधान-सभामें यह तय होता है कि विधान अंग्रेजीमें मंजूर किया जाय, तो वह तीस चालीस करोड़ लोगोंकी नुमाअिन्दगी नहीं करती। जितना ही नहीं, वह आजके भारतवासियोंके साथ और भविष्यकी पीढ़ियोंके साथ जबरदस्त अन्याय करती है। जिसका अर्थ और नतीजा तो यही हो सकता है कि राजकाज चलानेका ठेका अंग्रेजी जाननेवालोंका ही रहेगा। जिससे बढ़कर अन्याय और क्या हो सकता है? अगर जनताकी राय ली जाय, तो वह अंग्रेजीके पक्षमें कभी नहीं होगी। जिसलिसे जिन लोगोंके लिसे विधान बनाया जाता है, वह अंग्रेजीमें हरगिज नहीं हो सकता; वह तो हिन्दुस्तानीमें ही होना चाहिये।

दलील यह की जाती है कि हमारी देशी भाषायें जितनी समृद्ध नहीं हैं, जितनी अंग्रेजी है। अंग्रेजीमें बारीकीसे खास अर्थ बतानेवाले जो शब्द हैं, उनके लिसे हमारी ज़बानोंमें शब्द नहीं मिलते। और राजकाज मामला है। कभी कभी तो ऐसे शब्दोंपर ही महत्वके निर्णय किये जाते हैं।

ठीक है। लेकिन क्या अंग्रेजी राजके पहले जिस प्राचीन देशमें अच्छे राज चले ही नहीं? जहाँ झूठको सब साबित करना है, वहीं युक्ति, प्रयुक्ति और अटपटपनकी ज़रूरत है। आजकल अंग्रेजी राजके असरमें लोगोंके लिसे जिन्साफ पाना जितना पेचीदा और मुश्किल हो गया है कि बिना वकीलके अदालतमें काम ही नहीं चल सकता। और अगर स्वराजमें भी विधान अंग्रेजीमें मंजूर हुआ, तो जिन्साफ माँगनेवाला यह नहीं समझ सकेगा कि न्यायाधीश किस तरह जिन्साफकी कार्रवाही कर रहा है और वकील किस तरह वहस कर रहा है। आखिर यह लाचारी कहाँ तक बरदास्त की जाय और क्यों?

आरम्भमें कठिनाभियाँ ज़रूर रहती हैं, लेकिन आरम्भ करनेपर ही वे दूर की जा सकती हैं। आरम्भ हो भी तो।

दूसरी दलील यह की जाती है कि सही कुछ भी हो, हकीकत यह है कि जब विधान पेश होगा, तब उसकी हर कलमपर बहस होगी और इस पर राय दी जायगी। लेकिन अगर कुछ समासद हिन्दुस्तानी बिलकुल समझते ही नहीं, तो वे अपनी राय कैसे दे सकेंगे? जिसके लिसे व्यावहारिक हल क्या है?

जहाँ चाह वहाँ राह। हम अपने सिर्फ अंग्रेजी जाननेवाले देश सेवकोंकी सेवा खोना नहीं चाहते। जिसलिसे पहले विधानकी कलम हिन्दुस्तानीमें पढ़ी जाय और तुरन्त उसका अनुवाद अंग्रेजीमें पढ़ा जाय। जिसे समयकी बरबादी न क़दा जाय, बल्कि राष्ट्रके गौरव और राष्ट्रकी ताकत बढ़ानेके लिसे ज़रूरी समझा जाय।

अन्तमें दो शब्द में राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमें काम करनेवाले अपने साथियोंसे कहना चाहता हूँ। हमारा मकसद खूना है, हमारा दायरा विशाल है। राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी राजभाषा तो बन सकती है। लेकिन वह बनेगी तब बनेगी। वह तो आज भी इससे ज्यादा खूबे आसन पर विराजमान है। वह आसन है चालीस करोड़ लोगोंके हृदय। हिन्दुस्तानी न तो प्रान्तभेदको जानती, न इसके लिसे हिन्दी संघकी सीमाका बन्धन है। वह इससे बाहर पाकिस्तानमें भी फैली हुयी है। इसकी दोनों लिपियाँ—नागरी और शुर्द—के जरिये हमें इसकी सुपासना करनी है। शुर्दकी सुपासना हमें अपने पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान, बलूचिस्तान, अरबिस्तान, अरवस्तान वगैरके नजदीक ले जायगी। हमें विधान-सभाकी ओर ताकते बैठनेकी ज़रूरत नहीं। हमारे कामका निर्णय वह नहीं दे सकती। वह इसकी मर्यादाके बाहर है। हमें न केवल इसके राजकीय क्षेत्रकी सेवा करनी है, बल्कि जीवनके और क्षेत्रों—विज्ञान, तत्त्वज्ञान, साहित्य वगैर—की भी सेवा करनी है। और वह हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी, असीसाभी सब मिलकर करेंगे। आज हमारे रहसुमा पू० गांधीजी हमारे बीच नहीं हैं। जिसलिसे हमें इनके दिखाये हुये रास्ते पर और भी ज्यादा श्रद्धा और लगनसे चलनेकी और आगे बढ़नेकी ज़रूरत है।

वर्धा, १७-७-४८

अमृतलाल नाणावटी

रचनात्मक काम करनेवालोंकी संस्थायें

डॉ० कैलाशनाथ काटजूने रचनात्मक काम करनेवाले और गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले लोगोंके कर्तव्यों पर अपने विचार जाहिर किये हैं। उन्हें पाठकोंके सामने रखते हुये मुझे खुशी होती है। ये विचार इनके अंक खतमेंसे चुनकर दिये गये हैं:

“संचालकों और कार्यकर्ताओंको गंभीरतासे प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि वे अपनी प्रवृत्तियाँ चलानेके लिसे न कभी सरकारका आसरा ताकेंगे न इससे मदद माँगेंगे। वे तो पूरी तरह अपने ही प्रयत्नों पर, अपने ही पैसे या ऐसे पैसे पर निर्भर रहेंगे, जो वे इनके काममें रस रखनेवालोंसे जिकड़ा कर सकेंगे। किसानके आठ आने या अंक रुपया चन्देसे शुरू करके जितने भी ज्यादा आर्थिक मदद देनेवाले होंगे, उतना काम ज्यादा कामयाब होगा। मैं खास तौरसे जिस बातको बहुत ही बड़ा महत्व देता हूँ, कारण कि ओहदे और ओहदेवाले लोग तो कुदरतन राजनीतिक और दूसरी सब तरहकी ताकतोंके केन्द्र बन जाते हैं। ओहदेका मतलब है संरक्षण, जिसका मतलब है आर्थिक संरक्षण। यहाँ अंक बढ़ा भारी खतरा यह पैदा होता है कि हमारे रचनात्मक कार्यक्रमके काम करनेवाले अिधर केन्द्र शुरू करेंगे और तुरन्त ही अिधर मंत्रियोंके पास मददके लिसे दौड़े जायेंगे। जहाँ अिधरने यह किया कि मेरी अपनी धारणा तो यह है कि शायद ही उनका वह काम सफल हो। मैंने बार बार देखा है कि हमारे आदरणीय मित्र और दूसरे कभी सहयोगी सरकारसे आर्थिक मदद पानेके लिसे व्यर्थ अपनी ताकत खर्च करते रहते हैं और जब वह मदद या तो अनिच्छासे दी जाती है, या वह नाकाफी होती है या उसे देनेमें कुछ ज़रूरी सरकारी पाबन्दियाँ लगा दी जाती हैं, तो अिधरने चिढ़ आती है। सिर्फ जितना ही नहीं, जिस समयसे हमें सरकारी आर्थिक सहायता मिलने लगती है या हम अिधरपर निर्भर हो जाते हैं, उसी समयसे मैं समझता हूँ कि हमारे कामकी नैतिक अपील बहुत कुछ घट जाती है और इसका लोगोंपर वह असर नहीं पड़ता, जो कि पड़ना चाहिये। मैं सरकारी आर्थिक मदद लेनेके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी यह पक्की राय है कि ऐसे कामोंका खास आधार ज्यादासे ज्यादा गैरसरकारी मदद पर होना चाहिये। वह मदद जितनी आम किसान लोगोंसे मिले, उतना ही अच्छा। सरकारी मदद तो बिना खोजे, बिना प्रार्थना किये अपने आप आनी चाहिये। असलमें मंत्रियोंके जिन संचालकोंसे मदद मंजूर कर लेनेके लिसे प्रार्थना करनी चाहिये, न कि संचालक लखनबू या नैनीतालके सेक्रेटरियटमें मंत्रियोंके दफ्तरमें, या उसके घर जाकर मदद माँगते फिरें। ऐसा होनेपर तो सारी रचना ही बदल जाती है। यदि सरकार रचनात्मक कार्यक्रमको बढ़ाना ही चाहती है, तो यह इसका काम है कि जिस तरीकेको वह सबसे अच्छा समझे, उसके जरिये उसे बढ़ाये। इसके लिसे मेरे अपने विचार भी हैं। मैं यह तो नहीं बतला सकता कि किस तरह, लेकिन किसी भी तरह गांधीजीने जिस कार्यक्रमको ऐसा बना दिया है कि सरकारके जरिये उसे चलाना नामुमकिन-सा हो गया है। यह कोअी प्रामोद्योगोंके विकासका ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि असलमें तो वह व्यक्तिके ही विकासका कार्यक्रम है। और वह विकास तभी हो सकता है, जब व्यक्ति या सम्बन्धित दल स्वेच्छासे इसके लिसे प्रयत्न करे, और इसके पीछे जड़ सरकारी अंकुश न रहे। अलबत्ता सरकारकी अितनी तो जिम्मेदारी है कि वह जनताके पैसेको ठीक तरहसे खर्च करे और जिसके लिसे ऐसे सुपाय, जो उसे अिधर दिखें, काममें ले। परन्तु कुछ भी हो, मेरा तो यह खयाल है कि ये खास तालीमी केन्द्र अिधर ही काम करते हैं—वे पूरा काम नहीं करते। सैकड़ों निस्वार्थ

और बिलकुल भीमानदार कार्यकर्ताओंके लिये आदर्श रास्ता तो यही होगा कि वे संगठित हो जायँ और गाँवोंमें फैल कर यह काम करें, और सरकार उन्हें यह काम बढ़ानेके लिये अिकट्टी रकमोंके रूपमें कुछ मदद दे। यह मदद जिस कामके लिये आवश्यक धनका अेक हिस्सा ही रहेगी।

“जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे अधिक तीव्रतासे मुझे महसूस होनेवाली दूसरी बात है, खुदके आदर्शकी। जिसकी खास कर रचनात्मक कोशिशोंमें बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि गांधीजी अपना चरखेका सन्देश गाँव गाँवमें जिसलिये नहीं पहुँचा सके कि उनका व्यक्तित्व बढ़ा अजीब था, बल्कि जिसलिये कि वे खुद बिलानागा रोज कातते थे। मैं अब बड़े दुःखके साथ देखता हूँ कि चरखेकी ताकतमें लोगोंको सच्चा विश्वास नहीं रहा। यदि ऐसा विश्वास होता, तो वह व्यवहारमें दिखायी देता। मैं नहीं जानता कि केन्द्र और प्रान्तोंकी सरकारोंके कितने मंत्री रोज चरखा चलाते हैं। मैं मानता हूँ कि उनके कंधोंपर जिम्मेदारियोंका भारी बोझ है। फिर भी मेरा सुझाव है कि यदि चरखेका सन्देश हिन्दके आम लोगोंमें पहुँचाना हो, तो हमारे बड़ेसे बड़े आदमियों और हमारे मंत्रियोंका अपने जीवनमें फिरसे चरखा दाखिल कर दिखाना ज़रूरी माह्रम होता है। बदकिस्मतीसे आजकल सिर्फ़ उपदेशोंसे हमारा बहुत काम नहीं बन पाता। गांधीजीने शरीर-श्रमपर जोर दिया है। उनका आग्रह था कि जो बात हम दूसरोंको करनेके लिये कहें, उसे खुद भी करें। मेरी यह बात सिर्फ़ मंत्रियों या ऊँचे ऊँचे ओहदेदारों तक ही सीमित नहीं है। यह तो हमारे सारे नेताओं, चाहे वे ओहदोंपर हों या बाहर हों, पर अेक-सी लागू होती है। मैं खुद तो यही सोचता हूँ कि हरअेक कांग्रेस कार्यकर्ताके लिये, फिर वह नेता हो या अनुगामी हो, यह अेक पवित्र कर्तव्य-सा हो जाना चाहिये कि यदि उसका रचनात्मक कार्यक्रममें विश्वास है, तो उसे जिस बारेमें अपनी खुदकी मिसाल कायम करनी चाहिये। उसे खुद रोज कातना चाहिये और जिस बातको लोगोंमें जाहिर करना चाहिये। अगर वह लोगोंकी सभामें ऐसा करे, तो और ज्यादा अच्छा हो। यदि वह प्रामोयोगोंको बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने घरमें प्रामोयोगकी चीजें अिस्तेमाल करके आदर्श कायम करना चाहिये — जैसा गांधीजी जीवनभर करते रहे। रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ़ आर्थिक कार्यक्रम ही नहीं है। यह तो व्यक्तिका कभी तरहसे विकास करनेवाला सर्वव्यापी कार्यक्रम है। यदि मैं ऐसा कह सकूँ तो आर्थिक विकास तो जिसके गौण फायदोंमेंसे अेक है, जो कि जिस कार्यक्रममेंसे अपने आप मिलता है। और अगर हम आर्थिक पहलूसे नैतिक पहलूको जुदा कर लेते हैं, और सिर्फ़ आर्थिक पहलूपर ही ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस जमानेमें, जब कि कभी तरहके दूसरे जनताको अुलझनमें डालनेवाले सिद्धान्त काम रहे हैं, हमारे सिद्धान्तका नाकामयाब होना बहुत सम्भव है।

“गांधीजी कांग्रेसको ‘कांग्रेस’ शब्दके पुराने अर्थमें खतम कर देना चाहते थे। जहाँ तक राजनीतिका सम्बन्ध है, उनका खयाल था कि कांग्रेसके रजिस्टरमें हिन्दकी सारी आवादी आ जाती है। मेरा खयाल है कि वे राजनीतिको राजनीतियों, शासनतंत्रकी पार्टियों और मंत्रि मण्डलोंपर छोड़ देना चाहते थे। रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने जिस क्षेत्रके कुछ सिपाहियोंपर छोड़ दिया था। लेकिन राजकीय सत्ता आकर्षक होती है। और वह हिन्द-जैसे गुलामी भोगे हुये देशमें तो और भी आकर्षक बन जाती है। आज जिस आदमीके पास राजनीतिक सत्ता होती है, उसमें लोगोंको अेक विशेष प्रकारका आकर्षण माह्रम होता है। मैं सोचता

हूँ कि अपने निस्स्वार्थ सेवकोंके बारेमें जब वे सोचते थे, तो उन्हें यह भी विचार आता था कि उनके जैसे सेवक मौजूदा हालतमें अपने जीवनसे, अपने चरित्रकी सच्ची नैतिकतासे और अपनी लगनकी तीव्र निस्स्वार्थतासे तथा जिनके पास राजकीय सत्ता है उनसे किसी भी तरहका सम्बन्ध रखे बगैर या उनकी मददपर निर्भर रहे बिना लोगोंमें अपना प्रभाव जमा लेंगे। यदि ये लगनशील कार्यकर्ता किसी सरकारी मदद या संरक्षणपर निर्भर रहे बिना अपने बलपर काम करते रहें, तो मुझे खातरी है कि वे अपने जीवनकी शुद्धतासे, तथा अपने चरित्र और कामकी अुँचाअीसे कामयाबी हासिल कर लेंगे।

“मैं सोचता हूँ कि मैं अेकदम नयी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कमी कमी होता यह है कि जो हमें स्पष्ट दिखायी देता है, उसीकी हम परवाह नहीं करते। मैं सिर्फ़ अितना ही चाहता हूँ कि जिस पहलू पर मैंने जोर दिया है, उसे सावधानीसे खयालमें रखा जाय।

“दुःख और गुलामीकी रातके बाद अब देशमें राजकीय सत्ताका अुजेला हुआ है। जिसलिये स्वाभाविक ही हर कांग्रेसी उसका मजा लेना चाहता है और जिस सत्ताका हितकारी अुपयोग करके जनताकी सेवा करना चाहता है। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि जो लोग निस्स्वार्थ सेवाके जिस मार्ग पर चलें उन्हें कामयाबी मिले। इसके लिये वे पूरी तरह योग्य हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता खादी और दूसरे प्रामोयोगोंके विकासके लिये विविध प्रवृत्तियोंवाली सहकारी संस्थाओं (मल्टीपल कोआपरेटिव सोसायटीज) के संगठनका काम अपने हाथोंमें ले लें, तो मैं उसे बहुत पसन्द करूँगा। जिन कामोंसे वे गाँववालोंके बिलकुल नजदीकके सम्पर्कमें आयेंगे और उनकी बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे; कारण कि जिस तरह पूरी पूरी संगठित संस्थाओंको बहुत सावधान और होशियार संचालनकी ज़रूरत है।”

सेवाप्रामकी रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी परिषद हो जानेके बाद उसी तरहकी परिषदें कभी प्रान्तोंमें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले जिनमेंसे अेक परिषदका संगठन करनेवालोंके नाम अेक पत्र लिखा गया था। उसमेंसे मैं नीचेका हिस्सा अुद्धृत करती हूँ। पाठक क्षमा करेंगे।

“ये प्रान्तीय परिषदें ज़रूरी तो हैं, लेकिन अेक-दो भूलोंके बारेमें मैं कार्यकर्ताओंको चेता देना चाहता हूँ। पहली यह है कि परिषद ‘सफलतापूर्वक’ भर लेनेको ही हम शायद सेवाका अंग मान बैठें और जिला, तहसील वगैराके लिये भी ऐसी अेकके बाद दूसरी परिषद करनेके कार्यक्रम तैयार करने लग जायँ। दूसरी यह है कि सावधानीसे गढ़े हुये प्रस्तावोंको पास करा लेने और उनके पक्षमें अच्छे अच्छे लेक्चर झाड़ देनेको ही हम कार्यक्रमकी पूर्णाहुति समझ लें। तीसरी है, हम सरकार और गैरसरकारी अखिल भारतीय संस्थाओंकी ओर हर काममें रहनुमाअी करने और पैसे-टकेसे मदद देनेके लिये ताकते रहें।

“सरकार — प्रान्तीय या केन्द्रीय — और गैरसरकारी अखिल भारतीय संस्थाओंकी भी अपनी अपनी जगह है, अपने अपने कामके क्षेत्र हैं। लेकिन यदि कार्यकर्ता उनका बहुत ज्यादा सहारा लेंगे और यदि वे ठीक ठीक काम नहीं कर सकेंगी, तो शायद ही सारी संस्थाओंको बैठ जाना पड़े और लोगोंको वह स्वराज्य कभी न मिल पाये, जिसमें सर्वोदय होनेकी खातरी है।

“जिसलिये मैं कार्यकर्ताओंसे प्रार्थना करूँगा कि वे लोगोंको अपने साथ लें और उनकी खुदकी प्रेरणासे रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करनेमें उन्हें लगावें। जैसे जैसे आम लोगोंकी कोशिश बढ़ती दिखायी दे, भले उसमें सरकार या गैरसरकारी केन्द्रीय संस्थाओंकी ओरसे मदद मिले या न मिले, वैसे वैसे कार्यक्रमके अलग अलग लक्ष्य निश्चित किये जायँ।”

वर्धा, ८-७-४८
(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

हरिजनसेवक

८ अगस्त

१९४८

कांग्रेसका सुधार

कुछ पुराने कार्यकर्ता और प्रभावशाली कांग्रेसजनोंने यह सुझाया है कि कांग्रेसको और शासनतंत्रको शुद्ध और निर्दोष बनानेके लिये श्री राजगोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाभी पटेल, मौलाना आज़ाद और दूसरे चोटीके नेताओंको शासनतंत्रसे बाहर आ जाना चाहिये और अपनी जगहोंपर योग्य और अनुभवी लेकिन अपनेसे कम महत्वके कांग्रेसजनोंको रखना चाहिये। बाहर रहकर वे सुसी तरह अिनकी रहनुमाजी करें और अिनपर नियंत्रण रखें, जिस तरह अुन्होंने १९३७ के कांग्रेस शासनके दिनोंमें किया था।

मेरे विचारसे यह तभी संभव होगा, जब हम शासनकी मौजूदा पद्धतिके बुनियादी विचारको ही बदल दें। हम जानते हैं कि आजकी पद्धतिमें केन्द्रकी व्यवस्थापिका सभामें अेक ही पार्टीके नेता काम करते हैं, जिन्हें नीतियाँ निर्धारित करने और अुनपर अमल करनेका अधिकार दिया गया है। हालाँकि वे अुसूलकी दृष्टिसे धारासभाके प्रति जिम्मेदार हैं, फिर भी व्यवहारमें कमसे कम धारासभाकी अपनी पार्टीका तो नियंत्रण करनेकी ताकत रखते ही हैं। अगर अुपरके सुझाव पर अमल किया जाय, तो आजकी पद्धतिकी जगह व्यवस्थापिका सभामें नामजद मंत्री रखनेकी पद्धति अख्तियार करना जरूरी होगा। अुन्हें नीति निर्धारण करनेका कुछ भी अधिकार न होगा और अुठाये हुअे कदमकी हार होनेपर अिस्तीफे नहीं पेश करने पड़ेंगे। वे तो सिर्फ धारासभा द्वारा बतायी हुअी नीतिको अमलमें लानेके फर्जसे बँचे होंगे। मैं समझता हूँ कि स्विट्ज़रलैण्डका विधान कुछ अिसी तरहका है। अगर विधान-सभा फिरसे विधानके सारे प्रश्नों-पर चर्चा न करे, तो अिस विषयमें अब कोअी फेरफार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम आजकी पद्धतिको बदलने लायक फेरफार विधानमें कर दें, तो भी हमें यह याद रखना चाहिये कि अब हाअी कमाण्डके मेम्बर तब तक मंत्रियोंपर नियंत्रण नहीं रख सकते, जब तक वे खुद धारासभाओंके मेम्बर न बन जायँ। यह नयी हालत कुछ अिस तरहकी होगी: पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाभी पटेलको क्रमसे केन्द्रीय धारासभाके नेता और अुप-नेता बनना होगा और मंत्रिमण्डलमें दूसरे योग्य कांग्रेस-जनोंको रखना होगा, जो अुसूल और अमल दोनोंमें न सिर्फ अुनकी सलाह मानेंगे बल्कि अुनकी आज्ञासे काम करेंगे। देशका शासन गवर्नर जनरलके नाम पर चलेगा, जो अपनी केबिनेटकी सलाहसे काम करेगा। और यह केबिनेट बहुमतवाली पार्टीके लीडर और अुसकी वर्किंग कमेटीके द्वारा चुनी जायगी और कदम कदम पर अुसके आदेशसे काम करेगी।

मेरा विश्वास है कि अैसा करनेसे आजकी हालत बिगड़ेगी ही, अुसमें सुधार तो जरा भी नहीं होगा। औपनिवेशिक स्वराज (बोमिनियन स्टेट्स) पानेसे देशकी हालतमें जो परिवर्तन हुअा है, अुसमें यह जरूरी है कि अुसूल और अमल दोनोंकी दृष्टिसे शासनकी सत्ता देशके चोटीके जनप्रिय नेताओंके हाथमें रहे। मंत्री लोग कितने ही योग्य और अनुभवी क्यों न हों, लेकिन अगर अुसूल और व्यवहारमें अुनकी केबिनेट पर अैसे लोगोंका नियंत्रण है, जो अुसूलकी दृष्टिसे या तो केबिनेटके मातहत हैं या अुससे बिल्कुल बाहर हैं, तो भीतरी और विदेशी मामलोंमें अुनकी वह सत्ता और प्रभाव नहीं रहेगा, जो आज पंडित नेहरू, सरदार पटेल या दूसरे

मंत्रियोंका है। और अुँचे पदोंपर काम करनेवाले लेकिन बहुत अुँचे अुसूलोंको न माननेवाले व्यक्तियोंके हाअी कमाण्डके नियंत्रणसे बाहर हो जानेकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। अिसलिये मैं सोचता हूँ कि देशके सच्चे नेताओंको शासनतंत्रमें बनाये रखकर ही अिस समस्याका कोअी हल खोजना चाहिये।

अिसलिये हमें सोचना चाहिये कि अिस मकसदको ध्यानमें रख कर कांग्रेस अपने आपको कैसे सुधार सकती है। मैंने अपने पिछले लेखोंमें कांग्रेस और देशके शासनको शुद्ध और निर्दोष बनानेके प्रारंभिक अुपाय बता दिये हैं। अुन्हें काममें लेनेके बाद कांग्रेसको पूँजीवाद, समाजवाद, गांधीवाद, साम्यवाद वगैरा विचारधाराओंसे कोअी सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। साथ ही, अुसे कौमवाद, प्रान्तवाद, संस्कृतिवाद, सम्बन्धियोंके साथ पक्षपात करनेका वाद, और अवसरवाद जैसी अमलमें लायी जानेवाली विचारधाराओंसे भी कोअी नाता नहीं रखना चाहिये। पहले जिन वादों—पूँजीवाद, समाजवाद, गांधीवाद वगैराका जिक्र किया गया है, अुनमेंसे किसीको अपनाानेके बजाय कांग्रेसको हिम्मतके साथ जनतासे यह कह देना चाहिये कि अुसके सामने आज जो बहुत-सी समस्यायें खड़ी हैं, अुन्हें देखते हुअे वह किसी खास वादमें अपना विश्वास जाहिर नहीं कर सकती। वह जनतासे कहेगी कि अगर अिनमेंसे हर वादके अुसूलोंकी फेहरिस्तें बनायी जायँ, तो पता चलेगा कि आजके कोअी भी दो कांग्रेसजन किसी फेहरिस्तके सारे मुद्दोंको अेकमतसे मंजूर नहीं करते या अुनके किसी खास मुद्देपर अेकसा जोर नहीं देते। अगर वह सिर्फ अैसी ही बात मंजूर करे जिसे ज्यादासे ज्यादा कांग्रेसजन मानें, तो अुस बातकी कोअी कीमत नहीं रह जायगी। अिसलिये सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सारे कांग्रेसजन कुछ मोटे मोटे अुसूलोंकी तरफ अेक मतसे अुकते हैं। (अिन्हें निश्चित रूपसे लिख लिया जाना चाहिये।) कांग्रेस वह मकसद बता सकती है, जिसे वह हासिल करना चाहती है। लेकिन वह कह सकती है कि अुसूलोंके अमलमें हरअेकको सन्तोष देना कठिन है। अिसलिये सुधरी हुअी कांग्रेसको किसी खास वाद या विचारधाराको अुसूलन मंजूर नहीं करना चाहिये। लोग यह कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी निश्चित नीतिके आधार पर काम नहीं करती—वह कियर भी बह जाती है। लेकिन यह खतरा अुठाकर भी अुसे कह देना चाहिये कि वह खुले दिमागसे, मौजूदा हालतोंको ध्यानमें रखकर, अपने सामनेकी हर समस्याकी जाँच करेगी और अैसा फैसला करनेकी कोशिश करेगी, जो अुसे आजकी हालतोंमें सर्वथा अुचित मालूम होगा। अिसका मतलब यह नहीं कि समस्याओंके हल खोजते समय कांग्रेसके सामने बहुत दूरके मकसद नहीं होंगे। लेकिन संभव है अुन मकसदों तक पहुँचनेका जो रास्ता कांग्रेस अख्तियार करे, वह अितना क्रान्तिकारी और जल्दीका न हो, जो किसी खास विचार-धाराके हिमायतियोंको सन्तोष दे सके। कांग्रेसको अैसे ढंगसे काम करना चाहिये, अिससे अुसे दुनियाको यह दिखानेका सन्तोष मिले कि अिस तरहसे वह लोगोंके जीवन और शान्तिमें बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा किये बिना किसी नीतिपर अमल कर रही है, वैसा कोअी भी पार्टी नहीं कर सकती।

जहाँ तक कौमवाद, प्रान्तवाद वगैरा अमलमें लायी जानेवाली विचारधाराओंका सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि अगर कांग्रेसके लिये कोअी विशेष वाद अपनाना जरूरी हो, तो वह कौमवाद, प्रान्तवाद, संस्कृतिवाद, सम्बन्धियोंके साथ पक्षपात करनेका वाद, अवसरवाद, वगैराको न माननेका ही वाद होना चाहिये। यह वाद पूँजीवाद, गांधीवाद वगैरासे ज्यादा महत्व रखता है। जाति, धर्म, नसल, भाषा, सम्प्रदाय, वतन वगैराका मेद छोड़कर हरअेक हिन्दुस्तानीकी अेक-सी अिज्जत करना, सबके साथ साफ और अीमानदारी भरा बरताव रखना, शासनको निर्दोष और जनताके लिये ज्यादासे ज्यादा सुविधाजनक बनानेमें खूबसे खूब सावधानी रखना, सब तरहके पक्षपातसे दूर रहना और अिसी तरहकी

दूसरी आदर्श बातें कांग्रेसका मूलमंत्र या अेक मात्र मकसद, आदर्श और तरीका होना चाहिये । अगर जिस पर भीमानदारोंसे अमल किया जाय और जिस मकसदको हासिल करनेकी पूरी पूरी कोशिश की जाय, तो कांग्रेसके मुठ्ठीभर मेम्बर होने पर भी वह पहलेकी तरह जनप्रिय और अुपयोगी बनी रहेगी ।

साधारण लोग, फिर वे सियासी निगाहसे कितने ही जाग्रत क्यों न दिखायी दें, कभी किसी वाद विशेषके पंक्के अनुयायी नहीं होते । किसी वादके नारे, जो व्यापक अर्धसत्य ही होते हैं, लोगोंको गोल-माल रूपमें जो कुछ समझा देते हैं, उससे ज्यादा वे शायद ही उसके बारेमें कुछ समझते हैं । हम जानते हैं कि भोलीभाली मुस्लिम जनता बिना समझे-बूझे पाकिस्तानके और हिन्दुस्तानी मुसलमानोंके लिये अलग वतनके नारेके साथ कैसी बह गयी, जिसने मुसलमानों और दूसरे हिन्दुस्तानियोंको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया । आज भी हम जिस मुसीबतसे छूट नहीं सके हैं । अगर कांग्रेसको जनताकी सेवा करनी है, तो उसे ऐसे नारोंकी कीमत परसे लोगोंका विश्वास हटाना होगा । कांग्रेस खुद भी अपना कोअी नारा लोगोंके सामने न रख कर बुद्धिमानीका काम करेगी । जिसके बजाय उसे ऐसे नारों पर बिना समझे-बूझे विश्वास कर लेनेकी लोगोंकी आदतको छुड़ानेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये ।

जिस तरह कांग्रेस शासनतंत्रसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेवाले और धारासभाओंसे बाहर रहनेवाले साथियों और कार्य-कर्ताओंकी संस्था बन सकती है । ये सब आत्म त्याग और भीमानदारीकी भावनासे पार्लियामेण्टरी प्रवृत्तियोंमें भाग लेते हुअे और सरकारी या गैरसरकारी तौर पर जिम्मेदारी भरे सार्वजनिक काम करते हुअे राष्ट्रकी सेवा करनेके वचनसे बँधे होंगे । ये काम वे जनताको भीमानदारी, न्याय और दूसरे अँचे गुणोंके मीठे फल चखानेकी दृष्टिसे करेंगे । अगर किसी प्रतिज्ञाकी जूरत हो, तो मेम्बरोंसे अूपरके ढंगकी प्रतिज्ञा करायी जा सकती है ।

जरूरी है कि ऐसी कांग्रेसकी सदस्यता फार्मपर दस्तखत करके चार आने देनेवाले हर आदमीके लिये खुली नहीं होगी । वह अेक सीमित संस्था होगी । उसके मेम्बर बननेकी शर्तें बहुत कड़ी होंगी, ताकि अँचे अुसूलों, अँचे चरित्र, अँची योग्यता और निस्वार्थ सेवाकी भावनावाले लोग ही उसके मेम्बर बन सकें । वह जीवनके हर क्षेत्रमें काम करनेवाले और साधारण पढ़े लिखे आदमियोंको भी अपने मेम्बर बनायेगी, बशर्तें वे जिस कसौटी पर खरे अुतरें । वह मेम्बर बनाते समय काफ़ी सख्तीसे काम करेगी, ताकि धन, विद्या या धोखेका अुसपर असर न पड़ सके ।

चाहे वह ओहदांपर हो या बाहर हो, कांग्रेस जीवनके हर क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाली राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, शहरी और देहाती समस्याओंका अध्ययन करेगी और लोगोंको अुनके अध्ययन, छानबीन और खोज करनेकी प्रेरणा देगी । वह न तो किसी विशेष विचारधाराको माननेवाले दलोंके साथ अपनेको मिलायेगी, न अुनके अध्ययन और मददका फायदा अुठानेसे अिन्कार करेगी ।

ऐसी कांग्रेस जनताके सामने अपनेको न तो गांधीवादी जाहिर करेगी, न भीतर भीतर अगांधीवादी तरीके अख्तियार करेगी । अखिल भारत चरखा-संघ, अखिल भारत प्रामोद्योग-संघ वगैरा जैसी रचनात्मक संस्थाओंके तरफ अुसका वही रुख होगा, जो गांधीजी या पुरानी कांग्रेससे सम्बन्ध न रखनेवाली किसी दूसरी संस्थाके प्रति होगा । वह पार्लियामेण्टरी प्रवृत्तियों द्वारा लोगोंकी सेवा करना चाहेगी, और (ओहदों पर रहते हुअे) सरकारकी नीतियों-समझाकर और जिस बातका ध्यान रखकर कि आम जनताके भलेकी दृष्टिसे अुन नीतियों पर अमल किया जाय, वह लोगोंके पास पहुँचनेकी कोशिश करेगी । अगर सचाओ, भीमानदारी, गैरतरफदारी, सभ्यता और आदर्श जीवन कांग्रेसजनके विशेष गुण बन जायें, तो कांग्रेसकी लोगोंको हमेशा जरूरत रहेगी ।

वर्धा, २४-७-४८

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशरूवाला

भूलका अिकार

मेरे 'बुरे साधन' नामक लेखका अुल्लेख करते हुअे अुसमेंकी दो गलतियोंकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है । मुझे बताया गया है कि वह सक्चूरलर, जिसका बहुतसा हिस्सा मैंने प्रकाशित किया है, बिहार सरकार या किसी अधिकारवाली संस्थाने नहीं निकाला था; वह तो अेक नामधारी 'सरकारी अधिकारियों और गैरसरकारी लोगोंकी संयुक्त कमेटी' ने जारी किया था । बिहारके माल मंत्री श्री कृष्णवल्लभ सहाय मुझे लिखते हैं कि सरकारकी जानकारीके अनुसार ऐसी कोअी भी संस्था असलमें मौजूद नहीं है ।

दूसरे, मानभूम जिला कांग्रेस समितिके जिस प्रस्तावका मैंने अपने लेखमें जिक्र किया है, वह अुस संस्थामें पास नहीं हुआ, बल्कि ५५ : ४३ वोटोंसे गिरा दिया गया । जिसका नतीजा यह हुआ कि जिला कांग्रेस समितिमेंसे ३८ मेम्बरोंने, जिनमें सभापति और मंत्री भी शरीक हैं, राजीनामे दे दिये ।

जबसे वह लेख लिखा गया है, तबसे मानभूम और पश्चिम बंगालमें बिहारके सरहदी हिस्सोंको बंगालमें मिलानेकी हलचलके प्रचारकोंने जो तरीके काममें लिये हैं, अुनकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है । यदि मुझे मिली हुअी खबरें सही हैं, (और अुनपर अविश्वास करनेका मुझे कोअी कारण नहीं दिखायी देता) तो मुझे कहना होगा कि यह हलचल अुभाड़नेवाली और लोगोंको हिंसाके लिये तैयार करनेवाली है । वह सक्चूरलर, जिसे प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी मेरी है, यदि जालसाजीभरा है, तब तो जिन बंगाली मित्रोंने वह मुझे मेजा, अुन्होंने मेरे साथ बड़ाभारी धोखा किया है । चूँकि जिन मित्रसे वह मुझे मिला, वे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, जिसलिये मुझे डर है कि खुद अुनके साथ भी जिस सक्चूरलरके देनेवालोंने धोखा किया है, और अुन मित्रने जल्दीमें बिना सोचे-समझे अुसे मेरे पास भेज दिया है । बिहारके मानभूम और सरहदके हिस्सोंको पश्चिम बंगालमें मिलानेकी हलचलके प्रचारकोंने यदि मेरे लेखको अपने प्रचारका साधन बनाया हो, तो जिसमें कोअी आश्चर्य नहीं । लेकिन ऐसा करके अुन्होंने अपने खुदके अुदेश्यकी सेवा करनेके बजाय अुसकी कुसेवा ही की है । कारण, यदि मैं सख्तीसे टीका कर सकता हूँ, तो खुले तौर पर माफी भी माँग सकता हूँ और बगैर संकोचके भूल सुधार करनेके लिये सब कुछ कर सकता हूँ ।

अूपरका हिस्सा लिखा जानेके बाद मेरे पास बिहारके शिक्षा-मंत्री, श्री बद्रीनाथजीका अेक बड़ासा खत आया है, जिसमें जिस विषयका, जिसके बारेमें शिकायत पेश हुअी है, खुलासा किया गया है, और जिन सूबोंमें भाषाके सवालके बारेमें बिहार सरकारने जो नीति अख्तियार की है, वह साफ साफ बयान की गयी है । मैं जिस पत्रको करीब करीब साराका सारा दूसरी जगह दे रहा हूँ । जिसमें से मैंने अुन हिस्सोंको छोड़ दिया है, जो सरकारकी नीतिकी सफाओके लिये बिलकुल जरूरी नहीं है । जो नीति अख्तियार की गयी है, वह यदि पूरी तरह अमलमें लायी गयी, तो बड़ी अच्छी जान पड़ती है । लेकिन यदि जिससे भी ज्यादा कुछ करना हो, तो स्थितिको ज्यादा सुधारनेके लिये आज जिस तरहका प्रचार किया जा रहा है, अुससे अच्छे तरीके काममें लिये जा सकते हैं ।

मैं फिरसे दोहरा कर कहता हूँ कि जो भी पक्ष बुरे साधन अिस्तेमाल करता है, चाहे वह अपना अुदेश्य पानेमें कामयाब भी हो जाय, वह मानभूमके लोगोंको सुखी करनेमें कामयाब नहीं हो सकेगा, न वह दो सूबोंके लोगोंमें अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकेगा । वे सिर्फ लड़ाओ और फूटके बीज ही बोयेंगे । मैं नहीं समझता कि यह मामला शान्त और विशुद्ध तरीकोंसे निबटा ही नहीं जा सकता ।

नयी दिल्ली, ३०-७-४८

किशोरलाल मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

प्रेमपन्थ

(८)

शराबका बुरा व्यसन

(क)

द्राक्षासव वगैरा नशीली चीजोंके अुपयोगसे शरीर और मन दोनोंको नुकसान होता है। जितना ही नहीं, उससे आदमीका नैतिक ज्ञान मर जाता है और अपने आप पर काबू रखनेकी सारी ताकत खतम हो जाती है।

(ख)

अफीम वगैरा नशीले पदार्थ और शराब ये शैतानके दो हाथ हैं।

(ग)

भूखों मरनेवाले स्त्री-पुरुष छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं और अुन-पर मुकदमा चलता और अुन्हें सजा होती है। जिस चोरीके बनिस्वत हिन्दमें शराब पीनेको में ज्यादा बड़ा कसूर मानता हूँ। बड़ी नाराजीसे और प्रेमधर्मका पूरा साक्षात्कार न होनेसे मजबूर बनकर मैं गुन्हगारको सजा देनेकी बिचली पद्धतिको बर्दाश्त करता हूँ।

और जब तक मैं अुसे बर्दाश्त करता हूँ, तब तक शराब बनने-वालोंको और बार बार चेताने पर भी हठ करके शराब पीनेवालोंको सजा देनेकी मुझे हिमायत करनी चाहिये। मेरे लड़के अगर आगमें या गहरे पानीमें जायँ, तो मैं अुन्हें जबरन रोकनेसे हिचकिचाता नहीं। शराब पीना जलती हुआ आगमें या भरपूर नदीमें कूदनेसे भी ज्यादा भयानक है। आग या पानी सिर्फ शरीरका ही नाश करते हैं। लेकिन शराब तो शरीर और आत्मा दोनोंको बरबाद कर देती है।

(घ)

हिन्दमें जबरन शराब न छुड़ाभी जाय; जो शराब पीना चाहते हैं अुन्हें छुभीता कर देना चाहिये—अैसी अुपरसे अच्छी लगनेवाली दलीलके भुलावेमें आप न आयेंगे। लोगोंकी बुरी बातोंके लिये राज सुभीता नहीं करेगा। वेद्योंगहोंको हम, परवाने नहीं देते। चोरको चोरी करनेकी सद्दलियत हम नहीं देते। चोरों और शायद वेद्योंगमनसे भी ज्यादा मैं शराब पीनेको बुरा समझता हूँ। शराबका नशा पहली दोनो बुराअियों पैदा करता है।

(ङ)

हमारे देशके हवापानीमें शराबकी बिलकुल जरूरत नहीं है। शराबकी गुलाम बनी हुआ प्रजाका नाश ही होता है। . . . यादव लोग शराबके कारण ही कट मरे। रोमके पतनमें भी शराबका हाथ रहा है। जिसलिये अगर सादी और मामूली जिन्दगी बितानी हो, तो समय रहते जिस बुराअीको बन्द कीजिये।

(च)

शराबीपन और शराबबन्दीके बीच किसी तरहके समझौतेकी कोभी गुंजायश नहीं है। सुखी आदमी थोड़ी मात्रामें शराब पीनेका भले ढोंग करें, लेकिन मजदूरके लिये यह नासुमकिन है।

(छ)

अगर कोभी मुझे सारे हिन्दुस्तानका एक घण्टेके लिये राजा बना दे, तो सबसे पहले मैं अुआवजा दिये बिना शराबकी सारी दुकानें बन्द करा दूँ। गुजरातमें दिखायी देते हैं, वैसे सारे ताड़ीके पेड़ कटवा डालें और कारखानेदारोंको जिस बाँतके लिये मजबूर करूँ कि वे अपने मजदूरोंके लिये जिन्सानके रहने-बसने योग्य हालतें पैदा करें और अुनके लिये अैसे आराम-घर खोलें, जहाँ अुन्हें खाने पीनेकी निर्दोष चीजें और मनवहलावके निर्दोष साधन मिल सकें।

(अंग्रेजीसे)

सवाल-जवाब

अुच और नीच धंधे

सवाल—जयपुर राज्यके बलाभी (बुनकर) कपड़ा बुननेके अपने मुख्य कामके साथ साथ जूते और चमड़ेकी मरम्मतका तथा मरे ढोरोंको अुठानेका काम करते रहे हैं। चूँकि हालमें अुनमें नयी जाप्रति आयी है, और चमड़ेका तथा ढोर अुठानेका काम समाजने नीचे दरजेका समझ रखा है, जिस कारणसे अुन लोगोंकी विरादरीने अब निश्चय क्रिया है कि ये दोनों काम अब कोभी बलाभी न करे। जिससे किसानों, राजपूतों, तथा बनिये, ब्राह्मणोंमें बड़ी हलचल मच गयी है। बलाअियोंको चमड़ेका काम करनेके लिये मजबूर किया जा रहा है। अगर नहीं करते, तो अुनको मारा-पीटा भी जाता है। और कहीं कहीं तो बलाअियोंको गाँव छोड़कर भी जाना पड़ा है। अैसी स्थितिमें बलाभी लोग क्या करें? विरादरीके किये हुये निश्चयपर कायम रहें या सवर्ण लोगोंके दबावको मानकर फिरसे यह काम करने लगें?

जवाब—जिसमें सवर्णों और बलाअियों दोनोंको समझने-समझानेकी बात है। किसानी, दुकानदारी, पूजा-पंडिताभी और कपड़े बुननेके पेशे अुँचे हैं और जूते सीने, ढोर अुठाने, पाखाने साफ करने वगैराके पेशे नीचे दरजेके हैं, और अुन्हें करनेवाले नीच हैं, ये खयाल अब निकल जाने चाहिये। लेकिन जब तक सवर्णोंमेंसे ये खयाल निकल नहीं जाते, तब तक बलाभी लोग जिस निश्चयपर आये हैं, अुसमें अचरअकी कोभी बात नहीं। अुनको यह काम करनेके लिये मजबूर तो बिलकुल ही नहीं किया जा सकता। पुराने जमानेकी वर्ण-व्यवस्थामें अपना पीढ़ी-जात धंधा करनेका हर आदमीका फर्ज माना जाता था। सवर्णोंने, वह धर्म बरसोंसे छोड़ दिया है। तब हर आदमीको अधिकार है कि आम तौरपर वह जिस पेशेको ठीक समझे, अुसे करे; जिसे ठीक न समझे, अुसे न करे। बलाअियोंको जिस कारणसे मारना पीटना या गाँव छोड़कर भाग जानेकी परिस्थितिमें डालना, सवर्णोंका साफ साफ अन्याय है, और लोक सेवकोंको अैसे समयपर बलाअियोंकी मददमें रहना चाहिये।

तब सवाल यह है कि अैसे काम किस तरह निबटारे जायँ? जिसके रचनात्मक अुपाय नीचे लिखे हैं:

१. अछूतपन अेकदम खतम कर दिया जाय। बलाअियोंके साथ, चमड़ेका काम करनेवालोंके साथ और ढोरोंको अुठानेवालोंके साथ अुसी तरहका व्यवहार हो, जैसा किसान, बनिये और ब्राह्मण आपसमें करते हैं। घर या दुकानके जिस हिस्से तक ब्राह्मणके घरमें बनिया और किसान, या बनियेके घरमें किसान और राजपूत जा और बैठ सकता है, अुस हिस्से तक जिन लोगोंको भी बुलाने और बैठानेका व्यवहार शुरू करना चाहिये।

२. ढोरके मरनेपर अुसके अुठानेमें लोकसेवक और ब्राह्मण, बनिये, किसान, राजपूत वगैरा सवर्णोंको भी हाथ बैठाना चाहिये। जिस तरह परिवारका अेक आदमी मरता है, तब अुसका शव अुठानेके लिये अपनी विरादरीके लोग और मित्र आते हैं, अिकट्टा होते हैं, और अपनी अपनी रूढ़िके अनुसार अुसे जलाते या गाड़ते हैं, अुसी तरह ढोरको अुठानेका काम अेक सामाजिक काम है। अुसको ढोरके कब्रस्तान तक पहुँचानेका काम जिसका ढोर मरा हो अुसकी विरादरी और मित्रोंका है। चूँकि मरे ढोरको जलाया या गाड़ा नहीं जाता, बल्कि अुसके चमड़े, हड्डी आदिका अुपयोग होता है और वह अेक पैसे कमानीकी चीज है, जिसलिये अुस ढोरको अुठाने और ले जानेमें खास प्रकारकी हिफाजत और जानकारीकी जरूरत रहती है। जिसलिये वह काम खास लोगोंका पेशा बना हुआ है। तब अुसमें जिन लोगोंकी मददकी भी जरूरत हो जाती है। यह मदद अुन्हें योग्य मेहनताना देने पर ही ली जा सकती है। और चूँकि वे लोग अेक तरहसे खास काम करनेवाले हैं, और अैसा काम कर देते हैं जिसे करनेकी न तो दूसरे लोगोंमें जानकारी है और न शरीरकी

ताकत ही, जिसलिसे अन्हें जैसे अिज्जतसे देखना चाहिये, जैसे पुलिसके या न्यायकचहरीके अफसरोंको, या स्कूल मास्टर्सको देखा जाता है। जब तक सबणोंकी मनोवृत्तिमें अिस तरहका फेरफार नहीं होता, तब तक ये झगड़े मिटेंगे तो नहीं, बल्कि बढ़ते जायेंगे; और अिसमेंसे अेक तरफसे या दोनों तरफसे हिंसा पैदा होनेका डर रहेगा ही।

वर्धा, १२-७-४८

किशोरलाल मशरूवाला

डर, पक्षपात और रिश्त

मध्यप्रान्त और बरारके स्थानिक स्वराज्य विभागके मंत्री श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रने २८ जूनको हुअी प्रान्तके कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरोंकी कान्फरेन्समें जो भाषण दिया था, अिसमेंसे नीचेके हिस्से लिखे गये हैं। हालाँकि ये बातें खास कर मध्यप्रान्तके बारेमें कही गयी हैं, फिर भी आम तौर पर वे दूसरे सब प्रान्तोंको भी लागू होती हैं:

डर

“प्रान्तके जिलोंसे औसी खबरें मिला करती हैं कि धारा-सभाके मेम्बर और दूसरे कांग्रेसी अच्छी तरह शासन चलानेमें रुकावटें डालते हैं, . . . और ज्यादातर जिला अफसर अुनके दबावके सामने झुक जाते हैं। मुझसे बार बार यह कहा गया है कि अफसरोंमें यह मान्यता घर कर गयी है कि राजसत्ता कांग्रेसके हाथमें है, जिसलिसे हमें तकलीफसे बचनेके लिसे कांग्रेस-जनकों अुचित या अनुचित अिच्छाको मान कर काम करना चाहिये। अिसीमें हमारी खैरियत है। लेकिन मैं आपको बिलकुल साफ शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ कि अफसरोंका यह रुख सही नहीं है। . . .

“आप सब प्रजाके सेवक माने जाते हैं और यह सच भी है। जिसलिसे ज्यादासे ज्यादा वफादारी और योग्यतासे प्रजाकी सेवा करना आपका फर्ज है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसीकी अनुचित माँगोंके सामने झुकनेके लिसे आप अपने फर्जका सीधा रास्ता छोड़ें—भले वह धारासभाका मेम्बर हो या और कोअी। . . .

पक्षपात

“कुछ कांग्रेसियोंके बारेमें मैंने यह भी सुना है कि वे अफसरोंके पास जाकर कहते हैं कि हमारा प्रधान मंत्री या अमुक मंत्रीके साथ गहरा सम्बन्ध है। अगर आप हमारा अितना निजी काम करा दें, तो हम आपकी तरक्की जरूर करा देंगे। मैं आपको साफ शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ कि औसी बातें करनेवाले सफेद झूठ बोलते हैं। सरकारको वचनमें बाँध लेनेका किसी कांग्रेसीको कोअी हक नहीं है, और अफसरोंकी तनखाह बढ़ाने वगैराके बारेमें हमारे फैसलों पर औसे लोगोंका कोअी असर नहीं पड़ता। जिसलिसे, औसी बातोंको कोअी महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये। . . .

“हरअेक जिलेमें बहुत-सी पार्टियाँ होती हैं और वे सब तरह तरहकी साजिशें करती हैं। यह कुदरती बात है कि स्वार्थी लोग आपके पास आयेंगे और अपना दृष्टिकोण या अपना महत्त्व बता कर आप पर असर डालनेकी कोशिश करेंगे। औसे मामलोंमें बिलकुल निष्पक्ष रहकर न्याय करनेका आपका फर्ज है। न तो आपको औसे लोगोंके साथ बुरा बरताव करना चाहिये, न अुनके सामने आपको झुकना चाहिये।

रिश्त

“... देशके भलेके नाम पर मेरी आप सबसे यह अपील है कि आज सरकारी तंत्रमें जो जड़ता, अयोग्यता और रिश्त-खोरी वगैराकी बुराअी फैली हुअी है, अुसे मिटानेमें आप हमारी मदद कीजिये। जिस लड़ाअीमें आप लोग कांग्रेसियोंसे

भी ज्यादा हमारी (सरकारकी) मदद कर सकते हैं। जिसलिसे अिस लड़ाअीको आप अपनी लड़ाअी बनाअिये, और हम सब मिल कर औसी कोशिश करें, जिससे हमारी शासन-व्यवस्था अितनी अँची बन जाय कि हमें अुसका अभिमान हो। अितना ही नहीं, अुससे दूसरोंको भी औसा करनेकी प्रेरणा मिले। आपके मातहत काम करनेवाले लोगों तक आप मेरा यह सन्देश पहुँचाअिये और जिस बातकी कोशिश कीजिये कि रिश्तखोरी और अयोग्यताकी बुराअियाँ हमारे प्रान्तमें जड़से मिट जायें।”

श्री मिश्रजीकी यह बात पढ़कर सचमुच अवरज और दुःख होता है कि अुनकी सरकार शासन तंत्रमें घुसी हुअी रिश्तखोरीकी बुराअीको जड़से मिटानेके काममें कांग्रेसियोंकी मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकती।

वर्धा, ६-७-४८

किशोरलाल मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

भाषा-शिक्षणके बारेमें बिहारकी नीति

११ जुलाई १९४८के ‘हरिजन’ और अुसके हिन्दी संस्करण ‘हरिजनसेवक’में ‘बुरे साधन’ नामका जो लेख छपा है, अुसकी तरफ मेरा ध्यान खींचा गया है। अुस लेखमें जिस विषय पर चर्चा की गयी है, अुससे मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वह लेख आपकी कलमसे लिखा गया, यह और भी बड़े अवरजकी तथा, मुझे कहना चाहिये, दुःखकी बात है। औसे मामलेमें, जिसे आपने अपने लेखका विषय बनाया है और जिसमें प्रान्तीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं, मैं आपसे कथित अिलजामोंकी सचाअीका पता लगानेकी थोड़ी कोशिश करनेकी तो आशा जरूर रखता था। मुझे आपको यह बतानेकी जरूरत नहीं है कि आपने अनजानमें जो लेख लिखा, अुससे बिहार सरकारकी अिज्जतको बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर यह लेख किसी दूसरे पत्रमें छपा होता, तो हमने अुसकी परवाह नहीं की होती, और मेरा विश्वास है कि अुससे अितना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ‘हरिजन’में जो कुछ लिखा जाता है और वह भी आपकी कलमसे, अुसपर आम जनता बिना किसी हिचकिचाहटके विश्वास कर लेती है, और जनताका बहुत बड़ा हिस्सा तो अुसे वेदवाक्य-सा मानता है। मैं नहीं जानता कि आपके अिस लेखसे जनता पर जो असर पड़ा है, अुसे कैसे मिटाया जा सकता है। मैं यह पत्र आपको सच्ची हालत समझानेके लिसे ही लिख रहा हूँ। लेकिन मैं शुरूमें ही आपको बता दूँ कि जिस सचर्यूलरको आपने अपनी टीकाका विषय बनाया है, वैसा कोअी सचर्यूलर बिहार सरकारने नहीं निकाला; न अुसके किसी अफसरका औसे किसी कामसे सम्बन्ध है, जिसे बहुत दूरके अर्थमें भी ‘बुरा या गन्दा’ कहा जा सके। फिर भी, हमारे बंगाली दोस्तोंका अेक हिस्सा औसा है, जो अिस प्रान्तके कुछ हिस्सोंको पश्चिम बंगालमें मिलानेके जोशमें बिहार सरकार और अुसके अफसरोंको बदनाम करने पर तुला हुआ है और अिस मकसदको हासिल करनेके लिसे कमीनेसे कमीने तरीके अुख्तियार करनेमें भी कोअी बुराअी नहीं मानता। झूठे सचर्यूलरका प्रचार करना अिस बातकी सिर्फ अेक मिसाल है कि ये बंगाली दोस्त कितने नीचे गिर सकते हैं। यह सब कहते हुअे मुझे बड़ा दुःख होता है, लेकिन सचाअीको जाहिर करनेके लिसे कहना पड़ता है। सिर्फ अिन हिस्सोंका दौरा करनेवाला और यहाँकी मौजूदा हालतकी सावधानीसे जाँच-करनेवाला निष्पक्ष आदमी ही हमारे अिन बंगाली दोस्तोंकी गन्दी चालबाजियों पर पूरा प्रकाश डाल सकता है। काश आपको यहाँकी सच्ची हालतका पूरा ज्ञान होता।

२. फिर भी मुझे अिस विषयमें ज्यादा लिखनेकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँकी हालतके बारेमें असल हकीकतें संक्षेपमें बकर ही

सन्तोष कर लेना चाहता हूँ । जिस प्रान्तका शिक्षा विभाग यहाँकी शिक्षा प्रणालीको फिरसे राष्ट्रीय ढंग पर संगठित करनेके लिये बड़ा अतुष्ट है । और चूँकि नयी तालीमकी पद्धतिको सारे देशमें दाखिल करनेकी बात मंजूर कर ली गयी है, जिसलिये बिहारके मौजूदा प्रायमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलोंको नयी तालीमकी पद्धतिके अनुकूल बनानेकी भरसक कोशिश की जा रही है, ताकि नयी तालीमकी ट्रेनिंग लिये हुये शिक्षक काफी तादादमें मिल जाने पर जिन स्कूलोंको आसानीसे बुनियादी स्कूलोंका रूप दिया जा सके । बेशक, शिक्षकों और पैसोंकी सुविधाके अनुसार पूर्ण विकसित बुनियादी स्कूल भी जल्दीसे जल्दी अलगसे कायम किये जा रहे हैं । जिस मकसदको हासिल करनेकी दृष्टिसे मौजूदा प्रायमरी और मिडिल स्कूलोंका पाठ्यक्रम पूरी तरह नये सिरेसे बनाया गया है और उसमें तरह तरहकी कलाओं और अद्योगों — खासकर कताबी, बुनायी, बागवानी वगैरा — की शिक्षा और अमली तालीमको स्थान दिया गया है । शिक्षाका माध्यम भी बदला जा रहा है, और प्रायमरी दरजोंमें, जहाँ तक संभव है, बच्चोंको उनकी मातृ-भाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जा रहा है । अँचे दरजोंके पाठ्यक्रमकी योजना जिस तरह बनायी गयी है कि शिक्षाका माध्यम धीरे धीरे मातृभाषासे बदल कर हिन्दी हो जाय । क्योंकि हिन्दीको प्रान्तकी राजभाषा स्वीकार किया गया है — और संभव है कि हिन्दू सरकार भी उसे राजभाषा स्वीकार कर ले — और माध्यमिक शिक्षण और युनिवर्सिटीका शिक्षण हिन्दी माध्यम द्वारा ही दिया जानेवाला है । यह प्रबन्ध जिसलिये किया गया है कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें अँची शिक्षाके सुभीतोंसे पूरा फायदा उठानेका मौका मिले और वे सरकारी नौकरियोंमें विना कठिनायियोंके लिये जा सकें । जिस बयानमें कोठी सचायी नहीं है कि बंगाली बच्चोंको अपनी मातृभाषा छोड़नेके लिये मजबूर किया जा रहा है । जिसके खिलाफ, जिस तरह हिन्दी बोलनेवाले हिस्सोंमें हिन्दीके जरिये प्रायमरी शिक्षा दी जायगी, उसी तरह बंगालियोंकी ज्यादा आवादीवाले हिस्सोंमें बंगला द्वारा प्रायमरी शिक्षा दी जायगी । इसी तरह जिन हिस्सोंमें आदिवासियोंकी संथाली, मुंडारी, हो और अुराँचू बोलियों बोली जाती हैं, वहाँ अुन्हींके जरिये शिक्षा दी जायगी । यह लोअर प्रायमरी दरजे तक चलेगा । अपर प्रायमरी स्कूलोंमें थोड़ी हिन्दी दाखिल की जायगी, लेकिन बच्चोंकी शिक्षाका माध्यम अुनकी अपनी भाषायें ही रहेंगी । मिडिल स्कूलोंमें भाषाको छोड़कर दूसरे विषयोंकी शिक्षा हिन्दीके जरिये दी जायगी । लेकिन बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ते रहेंगे । अुन्हें तब तक ऐसा करने दिया जायगा, जब तक माध्यमिक और युनिवर्सिटी शिक्षणमें साहित्यके अध्ययनका प्रबन्ध नहीं हो जाता । जिसलिये किसीसे जबरन अपनी मातृभाषा छोड़वानेका सवाल ही नहीं उठता । अुलटे, आज तक जिन बच्चोंको अपनी मातृभाषा द्वारा प्रायमरी शिक्षा नहीं मिलती थी, अुन्हें भी मातृभाषा द्वारा पढ़ानेकी कोशिश की जा रही है । मिडिलके लिये, संथाली, मुंडारी, अुराँचू और हो जातिके बच्चोंको अभी तक हिन्दी या बंगलाके जरिये ही पढ़ाया जाता था । अब पहली बार अुन्हें अपनी भाषामें प्रायमरी शिक्षा लेनेका मौका मिलेगा । बिहार सरकार आज बिहारमें जो कुछ कर रही है, वह दिल्लीमें हुअी शिक्षा परिषदके ठहरावोंसे ठीक मेल खाता है । मानभूमके हमारे बंगाली दोस्तोंको अेक ही बात खटक रही है । वे नहीं चाहते कि संथाली और हिन्दी बोलनेवाले बच्चोंको अुनकी मातृभाषाके जरिये शिक्षा दी जाय । कुछ ऐसे कारणोंसे, जिनकी चर्चामें पढ़ना मेरे लिये यहाँ जरूरी नहीं है, मानभूमके सारे निवासियों पर बंगला माध्यम लाद दिया गया था । और हमारे बंगाली दोस्त हमेशा वही हालत बनाये रखना चाहते हैं । शायद आप नहीं जानते कि मानभूमके लगभग ७०-८० फी सदी लोग या तो हिन्दी बोलते हैं या फिर कोअी न कोअी आदिवासी भाषा — ज्यादातर संथाली — बोलते हैं । आज तक जिन सबको शुरूके दरजोंसे

ही बंगला माध्यमके द्वारा शिक्षा लेनेके लिये मजबूर किया गया था । नये पाठ्यक्रममें जिस तरह बंगालियोंको बंगला माध्यम द्वारा प्रायमरी शिक्षा लेनेकी छूट है और रहेगी, उसी तरह दूसरी भाषायें बोलनेवालोंको अपनी अपनी भाषाके द्वारा प्रायमरी शिक्षा लेनेकी छूट रहेगी । जाहिर है कि हमारे कुछ बंगाली दोस्त, जिनमेंसे ज्यादातर बाहरसे आकर बसे हुअे हैं, जिस परिवर्तनको पसन्द नहीं करते । इसीलिये वे बिहार सरकारको बाहरकी दुनियामें बदनाम करनेके लिये हर तरहके बुरे तरीके अख्तियार करनेकी कोशिश करते रहते हैं ।

३. बिहार सरकार हिन्दी न बोलनेवाले लोगोंके साथ ज्यादासे ज्यादा न्याय करनेकी कोशिश कर रही है । शिक्षा विभागको जिस बातका खयाल है कि हिन्दी न बोलनेवाले बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेसे अुनपर थोड़ा बोझ पड़ेगा और जिसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि हिन्दी बोलनेवाले बच्चोंके मुकाबलेमें अुनके साथ अन्याय किया जा रहा है । शायद आप नहीं जानते, इसी खयालसे शिक्षा विभाग ऐसा बन्दोबस्त करनेकी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह हिन्दी न बोलनेवाले बच्चे हिन्दी सीखें, उसी तरह हिन्दी न बोलनेवाले हिस्सोंके हिन्दी-भाषी बच्चे बंगाली, संथाली वगैरा स्थानीय भाषायें सीखें । जिससे अलग अलग भाषायें बोलनेवालोंके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम करनेमें और अुनमें सद्भावना और सहानुभूति पैदा करनेमें मदद मिलेगी ।

* * *

५. मैंने अूपर केवल हकीकतें देनेकी कोशिश की है । यह लम्बा पत्र लिखनेके लिये आप मुझे क्षमा करेंगे । लेकिन मैं ऐसा करनेके लिये मजबूर हो गया । क्योंकि सच्ची हालतको पूरी तरह समझनेके लिये हकीकतें आपके सामने पेश करना जरूरी था ।

राँची, २३-७-'४८

(अंग्रेजीसे)

बद्रीनाथ वर्मा
शिक्षा और सूचना मंत्री

“आशाकण्ठ”

चिड़ियोंको दाना भिदे, शिशुको पयकी धार;
प्रभु सबकी चिन्ता करे, नाहक तू बेजार !
कोशिश अपना काम है, फल तो प्रभुके हाथ;
भन, क्यों तू चिन्ता करे, छोड़ मोहका साथ ।
जिसको दुनिया दुःख कहे, वह अश्वरका प्यार;
पाप कटे, ऋषु भी चुके, होवे बेड़ा पार ।
जीत, हार कुछ भी मिले, रचना अपनी आन;
स्टा रहे निज वचन पर, नरकी यह पहिचान ।
मरुथलमें भी अुग सकें भीठे पिंडमजूर;
निर्दय दिलमें भी दयाके अंकुर भरपूर !
वही साधु कडका सके, जो जाने पर-पीर;
जन् हितमें सभरत सदा, साधक वही सुधीर ।
जैसा तुम चाहो करे' सब तुमसे व्यवहार;
वैसा ही व्यवहार तुम करो सभसे थार ।

(अमर आशा से)

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

विषय-सूची

	पृष्ठ
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी ही है	... अमृतलाल नाणावटी १९७
रचनात्मक काम करनेवालोंकी संस्थायें	... किशोरलाल मशरूवाला १९८
कांग्रेसका सुधार	... किशोरलाल मशरूवाला २००
भूलका बिकरार	... किशोरलाल मशरूवाला २०१
प्रेमपन्थ — ८	... गांधीजी २०२
सवाल-जवाब	... किशोरलाल मशरूवाला २०२
हर, पक्षपात और रिश्वत	... किशोरलाल मशरूवाला २०३
भाषा-शिक्षणके बारेमें बिहारकी नीति	... बद्रीनाथ वर्मा २०३
दिष्पणी :	
“आशाकण्ठ”	... श्रीमन्नारायण अग्रवाल २०४